

प्रेस-विज्ञप्तिथाना कन्धरापुर27 राशि गोवंश व के साथ एक गिरफ्तार, ट्रक, चाकू व चापड भी बरामदा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.06.2021 SSI श्री कैलाश सिंह यादव मय उ०नि० राकेश कुमार सिंह व मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सचूना पर एक ट्रक में कुल 20 राशि गाय, 06 राशि बछिया, 01 राशि बछड़ा व गिरफ्तार शुदा एक नफर अभियुक्त मुसम्मि रामअशीष यादव पुत्र स्व० रामबदन निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया के पास से कुल 20 राशि गाय व 06 राशि बछिया व 01 राशि बछड़ा कुल 27 राशि गोवंश की हुलिया अलग से एक पेपर पर तैयार कर उसी ट्रक से चालक की व्यवस्था करके खाना पानी व रहने की व्यवस्था हेतु श्री पारस डेरी गोशाला ग्राम आखापुर मंझरिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के प्रबन्धक को दिया गया। बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 80/21 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि० व 4/25 आर्म्स एक्ट. बनाम अभियुक्तगण 1-राम अशीष यादव पुत्र स्व० रामबदन यादव निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया, 2-ट्रक नं० UP 67AT2585 का चालक शेरू पता अज्ञात, 3- व्यापारी गुड्डू यादव पुत्र अज्ञात निवासी मोहम्दाबाद जनपद गाजीपुर समय 20.30 बजे घटना स्थल कस्बा कन्धरापुर यूनीयन बैंक के सामने से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राम अशीष यादव पुत्र स्व० रामबदन यादव निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 80/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशुक्रूरता अधि० व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट .

बरामदगी

1. बरामदशुदा कुल 20 राशि गाय व 06 राशि बछिया व 01 राशि बछड़ा कुल 27 राशि गोवंश।
2. बरामद एक अदद चाकू व एक अदद चापड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SSI श्री कैलाश सिंह यादव थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
2. उ०नि० राकेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
3. का० भवानीदीन थाना कन्धरापुर आजमगढ़
4. का० नीरज खरवार थाना कन्धरापुर आजमगढ़
5. का० अमित कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़।